अतएव आवश्यकता है कि गाँवो में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर गावो के विकास कार्यों को गति दी जाए।

उक्त विषय आगामी सप्ताह की कार्यसूची मे सम्मिलित किया जावे।

(2) विगत दिनो सिंडिकेट बैंक के प्रबधको ने हिन्दी में कामकाज पर रोक लगाने का आदेश प्रसारित कर हिंदी मे कार्य करने वाले कर्मचारियो की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया है। इतना ही नही, इससे राजभाषा समिति की सिफारिशो की अवहेलना हुई है। हिन्दी म सरकारी कामकाज करने के लिए विविध उपाय सरकार द्वारा किए जाते है किन्तु उनका उक्त मनोवृति के रहते क्रियान्वयन करना काफी कठिन है और इस प्रकार स हिन्दी को जो स्थान प्राप्त होना चाहिए था, वह अब तक प्राप्त नही हुआ है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार स आग्रह है कि हिन्दी के उपयोग का प्रतिबंधित करने वालो के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाए तथा हिन्दी के स्वैच्छिक उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाय।

इस विषय को भी आगामी सप्ताह की कार्यसूची म विचार के लिए सम्मिलित किया जाए।

संसदीय कार्य, रेल तथा निर्माण यौर आवास मंत्री (श्री बूटा सिह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यो ने सुझावो को मने बडे ध्यानपूर्वक सुना है इसमे कोई सदेह नही कि जो प्रश्न उन्होने उठाए है वह बडे महत्वपूर्ण है परन्तु इस सत्र मे, जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते है, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद जनरल बजट पर भी चर्चा की जाएगी। उस अवसर पर यह सारे के सारे प्रश्न उठाए जा सकते है। मै बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने भी इन प्रश्नो को लाऊगा और यदि कमेटी इनके लिए समय देना उचित समझे ता मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

---

15 09 hrs.

LIFE INSURANCE CORPORATIONS BILL

Extention of Time for Presentation of Report of Joint Committee

MR. DEPUTY SPEAKER : Now the motion regarding report of joint Committee, Mr Mool Chand Daga.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : I beg to move

> "That this House do extend upto the last day of the first week of the Monsoon, 1984, the time for presentation of the report of the Joint Committee on the Bill to provide, with a view to the more effective-realisation of the objectives of nationalisation of life insurance business, for the dissolution of the Life Insurance Corporation of India and for the establishment of a number of corporations for the more efficient carrying on of the said business and for matter connected therewith or incidental there to "

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is

> "That this House do extend upto the last day of the first week of the Monsoon session, 1984, the times for presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to provide, with a view to the more effective-realisation of the objectives of

nationalisation of life Insuance business for the dissolution of the life Insurance Corporation of India and for the establishment of a number of Corporations for the more efficient carrying on of the said business and for matters connected therewith or incidental there to

The motion was adopted

15.11 hrs.

PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now legislative business. Shri Dharamvir.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : I beg to move .*

"That the bill to amend the Payment of Gratuity Act, 1972, be taken into consideration."

वर्ष 1972 मे ग्रेज्युटि भुगतान अधिनियम बनाया गया था । इस अधिनियम मे कारखानो खानो, तेल क्षेत्रो, बागानो, पत्तनो रेल कपनियो, दुकानो अथवा अन्य प्रतिष्ठानो मे लगे हुए कर्मचारियो का ग्रेज्युटि का भगतान करन और इससे सबधित विषयो की व्यवस्था है । यह अधिनियम 16 सितम्बर, 1972 का लागू हुआ । पिछले 11 वर्षो के दौरान अधिनियम की कार्यप्रणाली म कुछ सशोधनो की आवश्यकता महसूस की गई ह । इस सबध म राज्य सरकारो, नियाजको तथा कर्मकार सगठनो मे बातो के साथ-साथ अधिनियम मे सशोधन करने के लिए भी सुझाव प्राप्त हुए है । इस मामले पर जुलाई, 1980 मे हुए श्रम मत्री सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था और सम्मेलन ने भी कुछ सिफारिश की थी ।

प्रस्तावित विधयक द्वारा अधिनियम मे किए जाने वाल कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार है .

1. निर्वाह लागत में हुई वृद्धि के कारण मजदूरी स्तरो में जो बढोत्तरी हुई है, उसको दृष्टि में रखते हुए, उन सभी व्यक्तियो को अधिनियम की परिधि के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है, जो सौलह सौ रुपए प्रति मास तक मजदूरी ले रहे है ।

2 सौलह सौ रुपए प्रति मास तक मजदूरी पाने वाले उन व्यक्तियो को भी, जो प्रशासनिक या प्रबधकीय हैसियत मे नियोजित है, अधिनियम को परिधि के अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है । क्योकि उन्हे ग्रेज्युटि का फायदा दिए जाने से इकार करना भेदभावपूर्ण होगा, जबकि उतनी ही मजदूरी लेने वाले कर्मकारो को वह फायदा दिया जा रहा है ।

3. यह प्रस्ताव है कि मौसमी प्रतिष्ठानो के नियमित कर्मचारियो को गैर मौसमी प्रतिष्ठानो के नियमित कर्मचारियों के बराबर समझा जाए तथा उन्हे प्रति वर्ष पन्द्रह दिन के वेतन की दर से ग्रेज्युटि दी जाए ।

4 नियत्रक प्राधिकारियो का यह अधिकार दिए जा रहे है कि वे किसी दावे को स्वीकार करने और अन्य कानूनी मामलो के बारे में निर्णय दे ।

5 अधिनियम को अच्छी तरह से लागू करने के लिए निरीक्षको की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की जा रही है ।

सरकार को अधिनियम मे विशेष रूप से अधिनियम की धारा 2 (ग) मे सशोधन करने के लिए कुछ और सुझाव प्राप्त हुये है इन की आवश्यकता मुख्य रूप स लालाप्पा लिंगाप्पा और अन्य बनाम "लक्ष्मी विष्णु टैक्सटाइल्स

* Moved with the recommendation of the President.